(3) मामूली रूप से प्रभावित कर्मचारियों को राज्य सरकार की निधि से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

(4) जो कर्मचारी 3.12.84 से 24.12.84 तक की अवधि में ड्यूटी पर नहीं आ सके थे, उन की अनुपस्थिति को विशेष नैमित्तिक छुट्टी माना गया है।

(5) उपर्युक्त के अलावा, जिन रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी थी, उन के मामले में रेलवे राजस्व से 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(6) रेल कर्मचारियों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से "संकट अग्रिम" राशि का भुगतान करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

(7) मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मचारी कल्याण निधि से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(8) मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को रेल मंत्री की कल्याण और राहत निधि से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(9) पात्र मामलों में, आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गयी है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन रखा जाना

1754. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर "प्रयागराज रेलवे स्टेशन" रखे जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1755. [*Transferred to the 9th December, 1985*]

Facilities for trawler units

1756. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the 'Indian Express' (New Delhi) of the 24th August, 1985 under the caption "More facilities for trawler units sought", if so, what are the details thereof; and

(b) what steps Government have taken to provide relief to these units?

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRI BANSI LAL): (a) and (b) Government has seen the news item published in the 'Indian Express' (New Delhi) of the 24th August, 1985 under the caption "More facilities for trawler units sought". A Note from the Association of Indian Engineering Industry highlighting certain areas of concern to the Shipbuilding Industry for the construction of Deep Sea Fishing Trawlers was received in the Department of Surface Transport in August, 1985. In the Note the AIEI has stressed action mainly in regard to the inclusion of escalation clause in the shipbuilding contracts, extending the facilities of Open General Licence, development of ancillary units and curtailment of delays in procedure etc.

The Empowered Committee on Trawlers has already taken steps in respect of various points made by the AIEI. A sub committee has been constituted to examine the issue relating to escalation clause in the shipbuilding contracts. Since it was not feasible to include import of machinery and equipment under OGL, the matter has been taken up with CCI&E to make suitable provision in the Import Policy for import upto 20 per cent of the cost of trawlers without DGTD clearance. While the Government is giving priority for development of shipbuilding